

भारत में भूमि उपयोग के ढाँचे पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखें।

भारत में भूमि-उपयोग के स्वरूप का विश्लेषण कीजिये। फसलों के प्रारूप को निर्धारित करने वाले घटकों पर प्रकाश डालिये।

Ans. भूमि-उपयोग से तात्पर्य यह है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का विभाजन वन, परती भूमि गैर-कृषि भूमि, खेती के लिये अप्राप्य भूमि, खेती के लिये प्राप्त भूमि आदि में किस प्रकार हुआ है अर्थात् कुल भूमि-क्षेत्र के कितने भाग में वन फैले हुए हैं, कितनी भूमि परती पड़ी है, कितनी भूमि गैर-कृषि कार्यों में प्रयुक्त हैं, कितनी भूमि ऐसी हैं जो खेती के लिये अप्राप्य हैं तथा कितनी भूमि कृषि के लिये प्राप्त हैं, आदि।

परन्तु उसे भारत में भूमि का उपयोग : भारत में विश्व की कुल भूमि का 2.4% भाग है विश्व की लगभग 150 जनसंख्या का भार वहन करना पड़ता है।

भारत में कुल भूमि क्षेत्र 32.88 करोड़ हैक्टर है जिसके 92.70 अर्थात् 30.49 करोड़ हैक्टर भूमि के उपयोग विषयक आंकड़े उपलब्ध हैं। भारत में भूमि उपयोग का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है

1. परती भूमि : परती भूमि से अभिप्राय उस भूमि से है जिसे पुनः उर्वरा शक्ति प्राप्त करने के लिये खाली छोड़ दिया जाता है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 7% है अर्थात् 2.22 करोड़ हैक्टर

भूमि परती पड़ी हुई है। परती भूमि को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है- (i) चालू परती, (ii) अन्य परती भूमि चालू परती भूमि एक वर्ष तक के लिये खाली छोड़ी जाती है जबकि अन्य परती भूमि को 1 से 5 वर्ष तक के लिये खाली छोड़ा जाता है अर्थात् उस पर से 5 वर्ष तक खेती नहीं की जाती।

2. वन क्षेत्र इस समय देश के भौगोलिक क्षेत्र के 22% भाग अर्थात् 6.74 करोड़ हैक्टर भूमि में वन क्षेत्र हैं। 3. अन्य गैर-कृषि भूमि इसे बंजर भूमि भी कहते हैं। भारत में यह भूमि 3.31 करोड़ हैक्टर है। यह भूमि तीन श्रेणियों में विभाजित की जा सकती है-(अ) चारागाह, (ब) पेड़ों तथा बागों वाली भूमि, (स) गैर-कृषि योग्य बंजर भूमि इन तीनों श्रेणियों का वर्तमान क्षेत्रफल क्रमशः 1.3 करोड़ हैक्टर, 0.45 करोड़ हैक्टर तथा 1.56 करोड़ हैक्टर है। नियोजन काल में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल 8.1% से घटाकर लगभग 59% कर दिया गया है। पेड़ों और बाग वाली भूमि से तात्पर्य यह है कि इस पर पिछले पांच वर्ष से अधिक समय से खेती नहीं की गई। भारत में यह भूमि इतनी कम है कि यहाँ विस्तृत कृषि की सम्भावनायें क्षीण रह गई हैं।

4. खेती के लिये अप्राप्य भूमि: देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 12.8% अर्थात् 3.93 करोड़ हैक्टर भूमि खेती के लिये अनुपलब्ध है। इसे दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है- (अ) गैर-कृषि कार्यों के लिये प्रयुक्त क्षेत्र, (ब) ऊसर और बंजर भूमि। गैर-कृषि कार्यों के लिये प्रयुक्त क्षेत्र से तात्पर्य भवनों, सड़कों, रेलों, नदियों, झीलों आदि से घिरी हुई भूमि से है। ऊसर और बंजर भूमि से अभिप्राय रेगिस्तान, पहाड़ तथा

पठार आदि से है जिसे तोड़कर कृषि के काम में तो लाया जा सकता है परन्तु उस पर कृषि करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होता।

5. खेती के लिये प्राप्य भूमि: भारत में कृषि के लिये प्राप्य शुद्ध भूमि 14.29 करोड़ हैक्टर क्षेत्र है। यदि इसमें एक से अधिक बार बोये जाने वाले क्षेत्र को जोड़ दिया जाये तो कुल कृषिगत क्षेत्र का ज्ञान हो जाता है। नियोजन काल में बहुफसली कार्यक्रम के अन्तर्गत 6.24 करोड़ हैक्टर क्षेत्र आ चुका है। इस प्रकार कुल कृषिगत क्षेत्र = $14.299 + 6.24 = 20.53$ करोड़ हैक्टर है। इस प्रकार यह कुल भौगोलिक क्षेत्र का 52% से अधिक है।

भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले घटक भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले घटक विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। किन्तु मुख्य रूप से भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाली दो शक्तियाँ हैं:

1. भौतिक शक्तियाँ: भूमि उपयोग को भौतिक शक्तियाँ मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं, जैसे-जलवायु, जल, वर्षा, मिट्टी की किस्म, भूमि की सतह आदि। 2. मानवीय शक्तियाँ : भूमि के प्रयोग को प्रभावित करने वाली मुख्य मानवीय शक्तियाँ निम्नलिखित हैं

(A) जनसंख्या का घनत्व: जनसंख्या का घनत्व प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि को प्रभावित करता है। जनसंख्या का घनत्व ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि घटती जाती है। कृषक समाज कृषक समाज भी भूमि के उपयोग को प्रभावित करता है। कुछ समय पहले फलों एवं सब्जियों की खेती कुछ किसानों तक ही सीमित थी। परन्तु

नकद दाम की फसलों का महत्व बढ़ जाने से अब फलों एवं सब्जियों की खेती बहुत से किसान करने लगे हैं।

तकनीकी ज्ञान : तकनीकी ज्ञान का स्तर ऊंचा होने पर औद्योगिक विकास में वृद्धि होती है। कृषि का रूप बदल कर यांत्रिक एवं व्यापारिक हो जाता है। गैर कृषि कार्यों में कृषि का उपयोग बढ़ भूमि उपयोग को सुधारने के उपाय: भारत में भूमि उपयोगों को सुधारने के लिए निम्न: उपाय किये जा सकते हैं

1. भूमि के प्रत्येक भाग को कृषि या वनों के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। वनों के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाकर 33% कर देना चाहिए।
2. फसलों के हेर-फेर की उपयुक्त पद्धति द्वारा परती भूमि का क्षेत्र घटाया जाना चाहिए।
3. देश में बेकार पड़ी हुई भूमि को कृषि के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। जिससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सके।

फसलों का प्रारूप: फसलों के प्रारूप से अभिप्राय यह है कि कुल कृषिगत क्षेत्र के कितने भाग में खाद्यान्न फसले तथा कितने भाग में खाद्येतर फसलें बोई जाती हैं। फसलों के स्वरूप में कृषि विशेषज्ञों के दो मत हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि फसलों के स्वरूप को बदलना सम्भव नहीं है जबकि अन्य विद्वानों के अनुसार फसलों के स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रजातंत्रीय सरकार के देशों में फसलों के स्वरूप को बदलना कठिन होता है जबकि समाजवादी देशों में यह कार्य सरलता से हो सकता है। परन्तु हमारी राय में एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में खाद्य तथा खाद्येतर फसलों में संतुलन होना चाहिये क्योंकि बढ़ती हुई

जनसंख्या के लिये जहाँ खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है वहाँ विदेशी मुद्रा अर्जित करने तथा उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिये व्यापारिक फसलों को उगाना भी महत्वपूर्ण है। फसलों के प्रारूप के निर्धारक घटक निम्न लिखित हैं-

1. भौतिक घटक : भौतिक घटकों में किसी देश की जलवायु, मिट्टी का स्वरूप, वर्षा तथा तापक्रम आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन सबका प्रभाव फसल के स्वरूप पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। उदाहरण के लिये, जहाँ वर्षा अधिक होती है और जलवायु उष्ण है वहाँ चावल व गन्ने की खेती अच्छी होती है। पहाड़ी और ढालू क्षेत्र चाय की खेती के लिये प्रयुक्त होते हैं। जहाँ वर्षा अनिश्चित तथा शुष्क जलवायु होती है वहाँ ज्वार, बाजरा की उपज की जाती है। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। मध्यम वर्षा और समशीतोष्ण जलवायु में गेहूँ, जौ, चना उत्पन्न किया जाता है। सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाकर फसल के स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है।

2. आर्थिक घटक आर्थिक घटक फसलों के स्वरूप में परिवर्तन के लिये अधिक प्रभावशाली होते हैं। आर्थिक घटकों में कीमत एवं अधिक आय, जोतों का आकार, आदानों की उपलब्धता तथा भूमि व्यवस्था आदि सम्मिलित होते हैं।

(अ) कीमत एवं अधिक आय : यदि खाद्यान्नों की कीमत बाजार में अधिक होती है तो किसान खाद्य फसल अधिक बोते हैं। इसके विपरीत यदि खाद्येतर फसलों की कीमतें खाद्यान्नों की तुलना में अधिक होती है तो किसानों का ध्यान अखाद्य की ओर आकर्षित हो जाता है। दूसरे, अधिक आय की सम्भावना भी फसल के स्वरूप पर गहरा प्रभाव डालती

हैं। किसान उसी फसल को बोता है जिससे उसे अधिक आय प्राप्त होती है। वर्तमान समय में यह धारणा अधिक प्रबल होती जा रही है।

(ब) जोतों का आकार : छोटे खेत के आकार वाले कृषक बड़े जोतों के आकार वाले कृषको की अपेक्षा खाद्यान्नों के उत्पादन पर अधिक बल देते हैं। क्योंकि उन्हें अपना जीवन चलाने के लिये खाद्यान्नों की मांग की पूर्ति करनी पड़ती है। खाद्यान्नों की मांग पूरी होने के बाद ही वह खाद्येतर फसलों के उगाने में रुचि लेता है। बड़े जोत के आकार वाले कृषक विभिन्न प्रकार की फसले उगाते हैं।

(स) आदानों की उपलब्धता : कृषि आदान जैसे उत्तम किस्म के बीज, खाद, कीटनाशक 'औषधियाँ', भण्डारण व विपणन की सुविधायें तथा सिंचाई के साधन आदि सुविधायें फसल के प्रारूप को प्रभावित करती हैं। गेहूँ के अधिक उगाने का श्रेय उत्तम किस्म के बीजों को ही है।

(द) भूमि व्यवस्था यदि खेती बटाई-व्यवस्था के अन्तर्गत की जाती है तो भूमि के स्वामी को फसल का चुनाव करने का अधिकार होता है और वह उसी फसल को बोने का निर्णय लेता है जिससे उसे अधिक लाभ होता है। उसी के निर्णयानुसार बटाईदार को फसल उगानी पड़ती है।

3. जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा : फसल के फेल होने की जोखिम को कम करने के लिये कभी-कभी फसल के साथ ज्वार, बाजरा आदि को भी बो दिया जाता है। यदि एक फसल नष्ट होती है तो उस फसल की पूर्ति दूसरी फसल से की जा सकती है।

4. सरकारी नीति : सरकारी नीतियों व कानूनों का भी फसल के स्वरूप पर प्रभाव पड़ता है। सरकार भूमि उपयोग अधिनियम पारित करके, कृषि आदानों को सस्ती दर पर उपलब्ध कराकर, सड़कों का निर्माण करके, कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार करके फसलों के प्रारूप को प्रभावित कर सकती है। सरकार कृषि साधनों एवं फसलों की कीमत निश्चित करके किसानों को विशेष फसल लगाने के लिये प्रेरित कर सकती हैं। सरकार विशिष्ट फसलों के लिये उर्वरक, उत्तम बीज, साख की सुविधायें तथा उत्तम यंत्र व उपकरण उपलब्ध कराकर विभिन्न फसलों के सम्बन्ध में विभेदात्मक नीति अपनाना सकती है। कुछ फसलों को प्रोत्साहन देने के लिये वह किसान को आर्थिक सहायता भी दे सकती है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि फसलों के प्रारूप को उपरोक्त घटकों द्वारा बदला जा सकता है। यह कार्य असम्भव नहीं है, जैसा कि कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है।